जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 73 प्रभात उदयपुर, बुधवार 14 जनवरी, 2026 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी द्रमुक से गठबंधन तोड़कर, सिनेस्टार विजय से नाता जोड़ेंगे?

राहुल का नया सलाहकार समूह, जो जय जगत नाम से जाना जाता है, यह नई दिशा दिखा रहा है

- हालांकि, अभी पार्टी के पुराने दिग्गज जय जगत की इस सलाह के खिलाफ हैं।
- इन नेताओं का मानना है, द्रमुक का कांग्रेस से गठबंधन पुराना रिश्ता है तथा यह रिश्ता समय के साथ-साथ परिपक्व हो गया है, अतः इस रिश्ते को तोड़ना कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा। दूसरा, सिने स्टार विजय नए खिलाड़ी हैं, हालांकि, उनकी जनता में भारी लोकप्रियता है, पर, अभी नए खिलाड़ी की आम सभाओं में भारी भीड़ पर पूर्ण विश्वास करना काफी जोखिम भरा निर्णय है।
- पर, राहुल गांधी अपने नए सलाहकारों की राय से प्रभावित लग रहे हैं तथा उन्होंने विजय का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, जबकि सरकार विजय की फिल्म रिलीज़ करने के रास्ते में लगातार रोड़े बिछा रही है।
- भाजपा भी विजय में एक संभावित राजनीतिक मित्र देख रही है। पर, अभी विजय पर दबाव बना रही है, उसकी फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं देकर।

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। राहुल गांधी ने एक शगूफा छोड़कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अभिनेता विजय के समर्थन में ट्वीट किया है, जबकि सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उनकी फिल्म को मंजूरी नहीं दे रही है।

कांग्रेस, द्रमुक (डीएमके) की पुरानी सहयोगी है, लेकिन राहुल का नवीनतम सलाहकार समूह 'जय जगत' चाहता है कि कांग्रेस विजय के साथ गठबंधन करे, न कि स्टालिन के साथ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्रमुक के साथ गठबंधन को अस्थिर करने के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि यह गठबंधन जांचा-परखा और खरा है, जबकि जय जगत समूह का दृष्टिकोण अलग है।

कांग्रेस लंबे समय से द्रमुक के सहारे चल रही है और जब भी द्रमुक राज्य में सत्ता में आती है, कांग्रेस द्रमुक के साथ रहती है।

विजय एक नई और ऊर्जावान ताकत के रूप में उभरे हैं, जो काफी भीड़ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी एक नौसिखिए और अप्रयुक्त नेता हैं, जिन्हें अभी तक परखा और आजमाया नहीं गया है।

भाजपा भी विजय को एक संभावित सहयोगी के रूप में देख रही है, लेकिन फिलहाल वह उन्हें दबाव में लाने के लिए, उनकी फिल्म को रोकने की और उन्हें दिल्ली बुलाकर पूछताछ करने की कोशिश कर रही है।

'कुत्तों को खाना खिलाना है तो उन्हें अपने घर ले जाएं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। भारत में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान, पीठ ने ए.बी.सी. (एनिमल बर्थ कंट्रोल) नियमों को लागू करने में बुरी तरह विफल रहने पर केन्द्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने चेतावनी दी कि इस विफलता के लिए सरकारों पर भारी मुआवजा लगाया जा सकता है और यह भी कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को हिदायत दी कि स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना है तो जवाबदेही भी लेनी होगी।

शीर्ष अदालत ने खुद को "डॉग फीडर" बताने वालों से जवाबदेही भी मांगी और उनसे कहा कि वे अपनी गतिविधि जारी रखना चाहते हैं तो आवारा कुत्तों को अपने घरों में ले जाएं।

जस्टिस संदीप मेहता ने एक वकील को फटकार लगाई, जिसने कुत्तों

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, भाजपा के मुख्यालय पहुँचा

सोमवार को भाजपा नेताओं से बातचीत के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के दिल्ली के केशव कुंज स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय भी गया

- भाजपा के मुख्यालय में चीन के प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव अरूण सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं से बातचीत की।
- पर, आरएसएस के दफ्तर में वे संघ प्रमुख मोहन भागवत से नहीं मिल पाए, क्योंकि, वे दिल्ली से बाहर यात्रा पर थे।
- भाजपा नेताओं व चीन के प्रतिनिधिमंडल की यह पहली मुलाकात थी, गलवान घाटी की झड़प के बाद।
- ट्रंप की बार-बार टैरिफ के बारे में धमकियों से तंग आकर, भारत ने चीन से वार्ता करने का निर्णय लिया है।
- यह वार्ता का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व चीन के राष्ट्रपति की 2024 ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात में लिया गया था।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। भाजपा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना-सीपीसी) के नेताओं के बीच हुई बैठक, जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली ऐसी मीटिंग थी, की विपक्षी कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले और साथ ही 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की धमकी के बीच, भारत ने चीन के साथ तनाव को शांत करने का प्रयास किया है। हाल ही में हुई यह बातचीत उस प्रयास का हिस्सा है, जिसमें 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में संवाद और समझबूझ की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

सीपीसी प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व सीपीसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हाइयान ने किया, सोमवार को भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं से मिला। भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने किया। मंगलवार को, सीपीसी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज में संघ के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने इस मुलाकात को "शिष्टाचार भेंट" बताया और कहा कि मुलाकात का अनुरोध सीपीसी की तरफ

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के भाग 17ए पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित आदेश

अब मामले की सुनवाई बड़ी बैंच करेगी

- भाग 17ए में सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों पर जाँच से छूट दी गई है।
- दो सदस्यीय बैंच में से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भाग 17ए असंवैधानिक है और भ्रष्ट कर्मचारियों का बचाव करता है।
- जबकि बैंच के दूसरे जज जस्टिस के वी विश्वनाथन ने भाग 17ए को संवैधानिक ठहराया और कहा, इससे ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होती है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस सवाल पर खंडित आदेश दिया कि ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों या की गई सिफारिशों के लिए सरकारी कर्मचारियों को जांच या जांच-पड़ताल से बचाने वाला कानून सही है या नहीं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए, जिसे जुलाई 2018 में जोड़ा गया था, यह कहती है कि किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान की गई सिफारिशों पर कोई "जांच या पड़ताल" नहीं हो सकती।

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि यह धारा "भ्रष्ट लोगों का बचाव करती है", वहीं जस्टिस के. वी. विश्वनाथन ने इस कानून को संवैधानिक माना, बशर्ते यह लोकपाल और लोकायुक्त के जरिये लागू हो।

मामले को किसी बड़ी पीठ को भेजते हुए जस्टिस नागरत्ना ने इस धारा की वैधता पर तीखी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, "धारा 17ए असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है।"

यह कहते हुए कि यह फैसला भ्रष्ट अधिकारियों को बचाता है और यह विधायिका की ओर से पुराने कानून को नए रूप में पेश करने की कोशिश है, उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया।

उन्होंने कहा, "यह प्रावधान उस व्यवस्था को फिर से जिंदा करने की कोशिश है, जिसे पहले ही विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी मामलों के फैसलों में रद्द किया जा चुका है। पूर्व मंजूरी की शर्त इस कानून के उद्देश्य के ही खिलाफ है और यह जांच को रोक देती है तथा ईमानदार अधिकारियों की रक्षा की कोशिश करने के बजाय, भ्रष्ट लोगों को बचाती है, जबकि ईमानदार और सत्यनिष्ठ अधिकारियों को वास्तव में किसी बचाव की जरूरत ही नहीं होती।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कश्मीर में मस्जिदों की सुरक्षा जाँच

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी की मस्जिदों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत, चार पन्नों का एक फॉर्म भेजा गया है, जिसमें फंडिंग, मौलवियों और प्रशासनिक रिकॉर्ड से जुड़े विवरण मांगे गए हैं।

- सत्तारूढ़ नैशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूछा, सिर्फ मस्जिद ही क्यों मंदिरों की सुरक्षा जाँच क्यों नहीं हो रही है।

इस कदम पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एन.सी.) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि सिर्फ मस्जिदों की ही जांच क्यों की जा रही है। उन्होंने मंदिरों व अन्य संस्थाओं का भी इसी तरह आकलन किए जाने की मांग की है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने सरकार की बेचैनी बढ़ाई

कानून एवं राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तकनीकी आपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत जवाबदेही को भी स्पर्श करता है

- चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को प्रतिरक्षा देने पर जरूरत से ज्यादा जोर देना गंभीर सवाल पैदा करता है।
- उक्त अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट का नोटिस न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि केन्द्र सरकार के लिए भी शर्मिंदगी का कारण है।
- गौरतलब है कि चुनाव आयुक्तों की मनमानी और उन्हें प्राप्त प्रतिरक्षा पर इन दिनों विपक्ष भी बेहद हमलावर है, खासकर एसआईआर कवायद को लेकर, जिसमें बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलैक्शन कमिश्नर-सीईसी) और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा देने को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इससे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ-साथ, भारत के चुनाव आयोग (इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया- ईसीआई) के भीतर भी बेचैनी पैदा हो गई है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अदालत का यह हस्तक्षेप न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए, बल्कि उस मोदी सरकार के लिए भी बेहद शर्मनाक साबित हो सकता है, जिसने इस विवादित कानून को संसद से पारित कराया।

नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि सीईसी और दो चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी जांच से पूरी तरह बचाने पर असाधारण तरीके से जिस प्रकार जोर दिया गया है, उसने अन्य संवैधानिक संस्थाओं में भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानूनी और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस इसलिए अहम है, क्योंकि यह सिर्फ तकनीकी आपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत जवाबदेही और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को स्पर्श करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आजीवन और बिना शर्त पूर्ण

(शेष पृष्ठ 3 पर)